

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-4/रजीगृ/रसायनविज्ञान/स्थानान्तरण/2020 दिनांक: 04.01.2021 के तहत विजय राजन व्याख्याता, रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, दोसारा-फागी, जयपुर से राउमावि, कटारावास कलां, खैरवाड़ा, उदयपुर किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध विजय राजन द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 401/2021 विजय राजन बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

माननीय अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 21.01.2021 में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी विजय राजन ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के एक दिव्यांग कर्मचारी होने, फेफड़े एवं रीढ़ की हड्डी के रोग से ग्रसित होने, स्थानान्तरित विद्यालय 550 कि.मी. दूर होने तथा बूढ़ी माता जी एवं स्वयं की पत्नी के बीमार होने के आधार पर विभागीय दिशा निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के अन्तर्गत निस्तारित करने एवं अपना स्थानान्तरण टोंक जिले में निकटस्थ स्थान पर करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी विजय राजन से प्राप्त संबंधित अगिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। विजय राजन, व्याख्याता, रसायन विज्ञान को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहमति के आधार पर इनका समायोजन राउमावि, बनेड़ा, टोंक में व्याख्याता रसायन विज्ञान के नव सृजित पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होंगे।

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-4/रजीगृ/विजय राजन/401/को.के/21

दिनांक:- 03/02/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ
/विजय राजन/401/को.के./21 दिनांक 09.02.21 के पैरा 04 समायोजन राउमावि,
बनेडा, टोंक के स्थान पर राउमावि, बनेटा टोंक (222178) संशोधित किया जाता है।
आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-4/रजीगृ/विजय राजन/401/को.के./21
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:-09/02/21

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग
जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर